न्यायालय जिला कलक्टर गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी डॉ0 गौरव सैनी

अपील संख्या 13/23 तारीख रज्जू- 12/09/23

1. टीकाराम पुत्र रामसिंह जाति मीना निवासी ककराला तहसील बामनवास ।
2. जीतराम पुत्र रामसिंह जाति मीना निवासी ककराला तहसील बामनवास ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये नायब तहसीलदार बामनवास ।

—रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक 07/05/25

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार बामनवास द्वारा मिसल संख्या 76/2020 में पारित निर्णय दिनांक 14.10.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम ककराला के आराजी ख0नं0 1831 रकबा 0.78 है0 किस्म चरागाह पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि निर्णय अदालत मातहत खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने से निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस में यह भी तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा संयुक्त रूप से नोटिस जारी किया है। जिसकी तामिल किसी भी व्यक्ति पर नही हुई है, इसलिए सूचना न होने के उपरान्त भी यह आक्षेपित आदेश पारित करने में अदालत मातहत द्वारा कानूनी भूल की है। उक्त प्रकरण को सिद्ध करने हेतु पटवारी हल्का के बयान आवश्यक थे, लेकिन अदालत मातहत द्वारा ना तो पटवारी हल्का के ना ही गिरदावर के बयान लिये गये है, साथ ही वकील अपीलार्थी ने दस्तावेजों की सूची में अंकित फर्द मौका रिपोर्ट ग्राम ककराला दिनांक 18.01.2021 की छायाप्रति प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि ख0नं0 1831 में हम कॉलोनी वासियों के पट्टे सन् 1975 व 1982 में जारी किये गये है, किन्तु राजस्व रिकोर्ड में कॉलोनी का अंकन नहीं होने से भूमि आज भी गै0मु0चरागाह दर्ज है, साथ ही अधिवक्ता

7/5/25

जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (राज0)

अपीलान्ट ने उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया ।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी का अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नही है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

दोनो पक्षों की बहस सुनने,उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु धारा 91(3) को नोटिस जारी किया गया तथा अदालत मातहत की आदेशिका दिनांक 14.10.2020 पर स्वयं अपीलार्थी सं0 1 के हस्ताक्षर अंकित है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। वकील अपीलार्थी ने दौराने बहस अवगत कराया कि सन् 1975 व 1982 में पट्टे जारी किये गये थे। लेकिन वकील अपीलार्थी द्वारा वाद आराजीयात के पट्टे की प्रति न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नही की गई है। वर्तमान मे उक्त भूमि की किस्म चरागाह है तथा अपीलार्थी द्वारा उक्त वाद आराजीयात चरागाह भूमि पर से अतिक्रमण हटाने के संबंध में कोई दस्तावेज/साक्ष्य न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत नही किये है।

उक्त परिस्थितियों मे हमारे विनम्र अभिमत में अपील अस्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा मिसल संख्या 76/2020 में पारित निर्णय दिनांक 14.10.2020 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07/05/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7/5/24
(डॉ0 गौरव सैनी)
जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी
(राज0)